तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स हाकिम
	अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दि. 7/5/25 को पेश हो। प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई पर सुनवाई कर पेशी 28/2/25 नियत की गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र दि० 28/2/25 को पेश हो।
28/2/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो
16/5/25	वकील प्रार्थी उप० बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दि. 2/6/25 को पेश हो।
2/6/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/7/25 को पेश हो
28/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19/8/25 को पेश हो
19/8/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 लगा० 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता सं. नई 429 पुरानी 270 वाके ग्राम तीरव पटवार हल्का तीरव तहसील तालेडा में अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता एवं प्रार्थी सं. 3 के पति है। अप्रार्थी सं. 1 का याद वर्णित आराजी में 1/5 हिस्सा निहित है। याद वर्णित आराजी अप्रार्थी

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

किस्म मुकदमा:–

मुकाम तालेड़ा

दर्ज नम्बर :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सं. 1 लगा. 5 को पैतृक सम्पति के रूप में अर्जित होने से अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की 1/5 भूमि में प्रार्थीगण का 1/4-1/4 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/20-1/20 हिस्सा निहित है। जो कि वाद वर्णित आराजी का पैतृक होने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर जन्म से ही हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी सं. 1 शराबी प्रवृति के आदि व्यक्ति है अपनी नशे की लत के कारण प्रार्थीगण समुचित रूप से भरण पोषण नहीं कर रहे है। तथा अपने गलत शौक के खातिर उक्त वाद वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बेचान व हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, इस हेतु वे खरीद के इच्छुक व्यक्तियों को कृषि भूमि दिखाने के लिए लाते है। प्रार्थीगण के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। जिसके कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से तक भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 वाद वर्णित आराजी में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपने हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द रहन बय करने की प्रार्थीगण को धमकी दी। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से की भूमि को रहन बय अथवा	

Scanned with OKEN Scanner

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा मुकाम तालेड़ा

किस्म मुकदमा:- दर्ज नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हस्तान्तरित कर देता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी। बहस वकील प्रार्थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 की भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 के पिता एवं पोते होने से प्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजी का पैतृक होने से हक अधिकार निहित होना प्रतीत होता है जो कि मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित होगा। किन्तु वाद के निर्णय होने तक प्रार्थीगण के हक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। अत: अप्रार्थी सं. 1 को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाद वर्णित आराजी में अपने हिस्से तक रहन बैचान अथवा हस्तान्तरित नहीं करे। उक्त कृत्य अप्रार्थी सं. 1 न तो स्वयं करे, ना ही अपने प्रतिनिधी से कराये। अप्रार्थी सं. 6 व 7 को पाबन्द किया जाता है कि वे वादवर्णित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से तक रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner